भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

बुधवार, 29 जुलाई, 2015 / 7 श्रावण, 1937 (शक)

तारांकित प्रश्न संख्या 100

एक हजार रुपए की न्यूनतम पेंशन का भुगतान

*100. श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक हजार रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन के भुगतान के संबंध में लिए गए निर्णय को आस्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय के कार्यान्वयन में हो रहे विलंब के कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

एक हजार रुपए की न्यूनतम पेंशन के भुगतान के बारे में श्रीमती रेणुका चौधरी द्वारा 29.07.2015 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 100 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): जी, नहीं। कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत प्रतिमाह 1000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन का प्रावधान जो साकानि संख्या 593(अ) दिनांक 19.08.2014 द्वारा अधिसूचित किया गया था केवल 2014-15 के लिए वैध था। तथापि, मंत्रिमंडल ने 29.04.2015 को हुई अपनी बैठक में ईपीएस, 1995 के अंतर्गत प्रतिमाह 1000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन को कतिपय शर्तों के साथ 2014-15 से आगे जारी रखे जाने का अनुमोदन कर दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस, 1995 के अंतर्गत मासिक पेंशन को अप्रैल, 2015 के महीने से न्यूनतम पेंशन के प्रावधान के साथ जारी करने संबंधी अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(ख) और (ग): ऊपर प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 105

बुधवार, 29 जुलाई, 2015 / 7 श्रावण, 1937 (शक)

सर्वव्यापी खाता संख्या

*105. श्री टी. रतिनावेल:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल सभी नियोक्ताओं के लिए सर्वव्यापी खाता संख्या अनिवार्य करने के आदेश को अधिसूचित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नियोक्ताओं के लिए सर्वव्यापी खाता संख्या को अनिवार्य बनाये जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

सर्वव्यापी खाता संख्या के बारे में श्री टी. रतिनावेल द्वारा 29.07.2015 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 105 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): जी, हां। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नियोक्ताओं को निम्नलिखित करने का अधिदेश दिया है:

i. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर किए गए प्रतिष्ठान के नियोक्ता को प्रतिष्ठान में शामिल होने वाले तथा निधि का सदस्य बनने के पात्र सभी कर्मचारियों से एक माह में फार्म संख्या 11 (नये) में घोषणा प्राप्त करनी होगी और उसे सर्वव्यापी खाता संख्या (यूएएन) पोर्टल में प्रत्येक माह की समाप्ति के 25 दिन के भीतर अपलोड करना होगा।

ii. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर किए गए प्रतिष्ठान के नियोक्ता को ईपीएफओ द्वारा तैयार यूएएन को यूएएन की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अपने सभी विद्यमान कर्मचारियों को प्रसारित करना होगा जो निधि के सदस्य हों तथा उनसे रसीद लेनी होगी।

iii. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर किए गए प्रतिष्ठान के नियोक्ता को अपने कर्मचारियों जो निधि के सदस्य हों, द्वारा ऐसे प्रसार के 15 दिन के भीतर यूएएन सक्रिय करवाना है।

iv. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर किए गए प्रतिष्ठान के नियोक्ता को ऐसे सदस्यों का ब्यौरा (जैसेकि बैंक खाता ब्यौरा, स्थायी खाता संख्या (पैन), आधार आदि) नो योर कस्टमर (केवाईसी) विधिवत रूप से यूएएन की प्राप्ति के एक माह के भीतर डालना होगा ताकि वे ईपीएफओ से सेवाओं का लाभ उठा सकें।

v. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर किए गए प्रतिष्ठान के नियोक्ता को उन सदस्यों के संबंध में जिन्होंने आधार ले रखा है, यूएएन की प्राप्ति के एक माह के भीतर आधार संख्या डालनी होगी। जहां कहीं सदस्यों के पास आधार नहीं हों, वहां नियोक्ता को यूएएन की प्राप्ति के एक माह के भीतर निधि के ऐसे सदस्यों से इस आशय का प्रमाण-पत्र हासिल करना होगा कि उनके पास आधार नहीं है। जैसे ही किसी सदस्य द्वारा आधार प्रस्तुत किया जाए, नियोक्ता को ऐसी प्राप्ति के 15 दिन के भीतर यूएएन पोर्टल पर उसे अपलोड करने का निदेश दिया गया है।

vi. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर किए गए प्रतिष्ठान के नियोक्ता यूएएन का समावेशन और दावा फार्म में उसे ईपीएफओ को अग्रेषित करने से पूर्व सभी संगत सूचना डालना सुनिश्चित करना होगा।

ये निदेश यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि सूचना ऑनलाइन आपलोड की जाए जो भविष्य निधि (पीएफ) अंशदाताओं को ऑनलाइन सेवाएं देने में सहायता करेगी और उनके पीएफ जमा धनराशि की पोर्टेब्लिटी सुनिश्चित करेगी।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1051

बुधवार, 29 जुलाई, 2015/ 7 श्रावण, 1937 (शक)

भविष्य निधि से परिपक्वता अवधि से पूर्व निकासियों पर टीडीएस

1051. श्री रंजिब बिस्वाल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भविष्य निधि से परिपक्वता अवधि से पूर्व निकासियों पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में लगभग सभी श्रमिक संघों ने इस निर्णय का विरोध किया है और इसे श्रमिक विरोधी करार दिया है क्योंकि श्रमिक अक्सर घोर आवश्यकता पड़ने पर ही भविष्य निधि की राशि आहरित करते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्णय को वापस लेने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): जी हाँ, लेकिन वित्त अधिनियम, 2015 की धारा 192क के उपबंधों के शर्ताधीन।

(ख): स्त्रोत पर कर कटौती से संबंधित उपबंध आयकर अधिनियम, 1961 में अधिनियम की धारा IV में विद्यमान हैं। तथापि, स्त्रोत पर कर कटौती के उपबंध इसमें विहित प्रक्रिया की जटिलता के कारण कार्यान्वित नहीं किए जा सके।

कतिपय मामलों में आयकर कटौती की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए वित्त अधिनियम, 2015 में नई धारा 192क लाई गई है। धारा 192क के उपबंधों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:-

1. यदि जमा करने के पांच वर्ष बाद आहरण किया जा रहा हो, तो कोई कटौती नहीं की जाती है।
2. यदि आहरण की राशि तीस हजार रूपये से कम हो, तो आयकर की कोई कटौती नहीं की जाती है।
3. यदि लाभार्थी फॉर्म सं. 15छ/15ज, जैसा भी मामला हो, जमा करके यह सूचित करता है कि उसकी आय कर-योग्य आय से कम है, तो कोई कटौती नहीं की जाती है।

4. शेष मामलों में जहां लाभार्थी की आय कर्मचारी भविष्य निधि(ईपीएफ) में अंशदान जमा कराने वाले वर्ष में कर-योग्य थी, तो यदि लाभार्थी द्वारा स्थायी खाता संख्या (पीएएन) दी गई हो, तो स्त्रोत पर केवल 10 प्रतिशत कर कटौती(टीडीएस) की जाती है। यदि किसी कारणवश, लाभार्थी अपने पीएएन देने में असफल होता है, तो अधिकतम मामूली दर अर्थात 34.608 प्रतिशत पर आयकर की कटौती की जाती है।

(ग): इस संबंध में श्रमिक संघों से कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, उक्त उपबंध कामगार विरोधी नहीं है क्योंकि इसका आशय कम मजदूरी अर्जित करने वाले लाभार्थी के आहरण लाभों से स्त्रोत पर कर की कटौती करने का नहीं है।

(घ) और (ङ): वर्तमान में उपर्युक्त उपबंध को वापस लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1043

बुधवार, 29 जुलाई, 2015/ 7 श्रावण, 1937 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि के खाताधारकों को घर देने की योजना

1043. नजीर अहमद लवाय:

मीर मोहम्मद फ़ैयाज:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि के खाताधारकों को घर देने के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितने व्यक्तियों को लाभ होने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): जी, नहीं।

(ख) और (ग): उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर के भाग (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1848

बुधवार, 5 अगस्त, 2015 / 14 श्रावण, 1937(शक)

भविष्य निधि दावों का निपटान

1848. श्री एस. थंगावेलु:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने जून, 2015 में भविष्य निधि आहरण जैसे 11.06 लाख दावों का निपटान किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ईपीएफओ ने 20 दिनों के भीतर सभी दावों का निपटान करने का अधिदेश दिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ईपीएफओ ने 'निधि आपके निकट' या 'पी.एफ. नियर यू' की शुरुआत करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): जी, हाँ।

(ग): जी, हाँ। प्रथम निधि आपके निकट या पी.एफ. नियर यू कार्यक्रम का आयोजन 10 जुलाई, 2015 को किया गया। यह प्रत्येक माह की 10 तारीख अथवा यदि 10 तारीख को अवकाश है तो उससे अगले कार्यदिवस को आयोजित किया जाने वाला स्थायी लोक भागीदारी कार्यक्रम है।

(घ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा निधि आपके निकट या पी.एफ. नियर यू आयोजित करने का उद्देश्य अपने विभिन्न हितधारकों की और अधिक पहुंच में आना है। इसका उद्देश्य सभी हितधारकों को साझा मंच पर लाना तथा शिकायत निवारण एवं फीडबैक लेने के अतिरिक्त नई पहलों के बारे में विचारों के आदान प्रदान तथ सूचना के प्रसार को सुविधाजनक बनाना है। निधि आपके निकट कार्यक्रम एक विस्तृत आधार तथा सहभागी उपागम वाला है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2644

बुधवार, 12 अगस्त, 2015/ 21 श्रावण, 1937 (शक)

उत्तराखंड में कम्पनियों द्वारा भविष्य निधि न काटा जाना

2644. श्री राज बब्बर:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तराखंड राज्य में उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो घाटे में चल रही हैं तथा जिन्होंने केन्द्र सरकार की हिदायतों के बावजूद भी गत कुछ वर्षों से श्रमिको से काटी गई भविष्य निधि का पूल नहीं खोला है; और

(ख) राज्य के ऐसे श्रमिकों की भविष्य निधि को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत व्याप्त लाभ या हानि अर्जित करने वाली कंपनियों के बीच भेद नहीं करता है। तथापि, उत्तराखण्ड राज्य में उक्त अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त तैंतीस स्थापनों ने 57.96 करोड़ रुपये की राशि के भविष्य निधि एवं संबद्ध देयों का भुगतान करने में चूक की है।

(ख): ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अंतर्गत उत्तराखण्ड में स्थित कंपनियों सहित चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाईयां करता है:

i. देयों के निर्धारण हेतु अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत कार्यवाहियां आरंभ की जाती हैं।

ii. देयों की गैर-अदायगी के लिए अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन आरंभ किया जाता है।

iii. कर्मचारियों की मजदूरी से वसूले गए तथा ईपीएफओ खाते में जमा न कराए गए कर्मचारी के अंशदान में शेयर की गैर-अदायगी के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत दायर प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज की जाती हैं।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2638

बुधवार, 12 अगस्त, 2015/ 21 श्रावण, 1937 (शक)

ई. पी. एफ. ओ. का निधि आपके निकट कार्यक्रम

2638. श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री ए. यू. सिंह दिव:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) का निधि आपका निकट नामक एक सार्वजनिक पहुंच कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) 2014-15 के दौरान अब तक ई.पी.एफ.ओ. को जोन-वार कितनी ग्राहक शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा वर्तमान स्थिति के अनुसार उनमें से कितनी शिकायतों का समाधान किया गया और कितनी लंबित हैं; और

(घ) देश में विभिन्न ई.पी.एफ.ओ. केन्द्रों में ग्राहक शिकायतों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए निधि आपका निकट कार्यक्रम किस हद तक सफल हुआ है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): जी, हां।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा 10 जुलाई, 2015 को प्रारंभ की गई "निधि आपके निकट" की मुख्य विशेषताएं तथा विवरण निम्नानुसार है:-

(i) यह एक सार्वजनिक पहुंच कार्यक्रम है।

(ii) यह हर माह की 10 तारीख तथा यदि 10 तारीख को अवकाश पड़ता हो तो, अगले कार्य दिवस को सम्पन्न होना प्रस्तावित है।

(iii) यह देशभर में ईपीएफओ के सभी 122 फील्ड कार्यालयों में आयोजित होगा तथा प्रभारी अधिकारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी।

(iv) कार्यक्रम के दौरान ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी/नियोक्ताओं के हित में की गई विभिन्न नई पहलों के बारे में बताया जाएगा।

(v) यह ईपीएफओ द्वारा उसके सभी विभिन्न पणधारियों को एक साझा मंच पर लाने का प्रयास है।

(vi) यह ईपीएफओ को शिकायत निवारण के अलावा प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों के संबंध में कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं को अपने सुझाव तथा फीडबैक देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

(ग) वर्ष 2014-15 के दौरान ईपीएफओ द्वारा प्राप्त ग्राहक शिकायत का जोन-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(घ): ईपीएफओ ने कई सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पहलों का प्रयोग करते हुए अपनी सेवा वितरण में लगातार सुधार किया है। परिणामस्वरुप वार्षिक तौर पर प्राप्त शिकायतों की संख्या में काफी कमी आयी है। जबकि 2011-12 में 2,74,976 शिकायतें प्राप्त हुई थी, वर्ष 2014-15 में से 32.91 प्रतिशत 1,84,480 तक इनमें 32.91 प्रतिशत की कमी आई तथा इनकी संख्या भाग 1,84,480 रह गई।

'निधि आपके निकट' अपने पणधारियों के संबंध में केवल भागीदारी तथा व्यापक दृष्टिकोण को ही ग्रहण नहीं करती, बल्कि पणधारियों के हित में की गई नई पहलों के संबंध में जानकारी भी प्रदान करती है। ऐसे उपाय उचित समय पर सभी पणधारियों के जिम्मेदारियों तथा अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक जनजागरुकता लाते हैं तथा भविष्य में शिकायतों की संख्या में कमी लाते हैं।

*****

*

अनुबंध

ई. पी. एफ. ओ. का निधि आपके निकट कार्यक्रम के सबंध में श्री रवि प्रकाश वर्मा, श्री ए. यू. सिंह दिव के द्वारा दिनांक 12.08.2015 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2638 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2014-15 के दौरान ईपीएफओ के द्वारा प्राप्त ग्राहक शिकायतों का जोन-वार विवरण

जोन का नाम	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियां	निस्तारण	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार लंबित
दिल्ली और उत्तराखंड	116	23028	23128	16
हरियाणा और राजस्थान	52	13500	13543	9
पंजाब और हिमाचल प्रदेश	57	4331	4372	16
बिहार और उत्तर प्रदेश	40	7868	7898	10
आंध्र प्रदेश और ओडिशा	425	16023	16296	152
कर्नाटक और गोवा	992	23500	24312	180
तमिलनाडु और केरल	466	21747	22152	61
पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र	85	10732	10782	34
महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़	1848	41529	42360	1017
गुजरात और मध्य प्रदेश	60	7422	7474	8
मुख्यालय / अन्य	446	14800	10004	656
कुल	4587	184480	182321	2159

******

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2642

बुधवार, 12 अगस्त, 2015/ 21 श्रावण, 1937 (शक)

ई पी एफ ओ द्वारा अपने ग्राहकों को प्रोत्साहित करना

2642. श्री पॉल मनोज पांडियन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए तरीके ढूंढ रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ई पी एफ ओ चिंतित है कि वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन पी एस), के कारण अपने ग्राहक खो सकता है, क्योंकि नई प्रणाली गत कुछ वर्षों में ई पी एफ ओ के 8.75 प्रतिशत की तुलना में 20 प्रतिशत तक का प्रतिलाभ पेश करती आ रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ई पी एफ ओ भविष्य निधि खातों में धन बनाए रखने के लिए अपने ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के विभिन्न विकल्पों की तलाश कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा इसके अंतर्गत निर्मित स्कीमों के उपबंधों का कार्यान्वयन सौंपा गया है जो कतिपय स्थापन वर्गों के कामगारों की व्याप्ति को अधिदेशित करती हैं। वर्तमान में, उक्त अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का विकल्प चुनने का कोई विकल्प नहीं है।
(ग): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
(घ): उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2639

बुधवार, 12 अगस्त, 2015/ 21 श्रावण, 1937 (शक)

गैर-दावाकृत भविष्य निधियां
2639. श्री संजय राउत:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अब तक सरकार के पास 9000 करोड़ रु से भी अधिक की भविष्य निधियां गैर-दावाकृत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गैर-दावाकृत भविष्य निधियों पर दावा नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन गैर-दावाकृत नामों को सरकारी वेबसाइट पर डालने का विचार कर रही है ताकि लाभार्थी अपने-अपने खातों को ढूंढ सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में कोई राशि गैर-दावाकृत नहीं हैं। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72(6) के अनुसार कुछ राशियां 'निष्क्रिय खातों' के रुप में वर्गीकृत हैं, जिनमें लगातार 36 माहों से अंशदान प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे सभी निष्क्रिय खातों के हालांकि निश्चित दावेदार हैं।

(ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के वार्षिक खातों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि में 31.03.2014 तक की स्थिति के अनुसार 27,448.54 करोड़ रुपये निष्क्रिय खातों के रुप में वर्गीकृत किए गए हैं।

ऐसे निष्क्रिय खातों के कारण निम्नलिखित हैं:-

i. सदस्य एक कवर्ड स्थापना से दूसरी कवर्ड स्थापना में नौकरी बदलने के समय अपनी निधियां अपने वर्तमान खातों में स्थानांतरित नहीं कराते हैं। परिणामस्वरुप, पुराने खाते 36 माहों के पश्चात निष्क्रिय बन जाते हैं।

ii. ईपीएफओ की जमा राशि पर अर्जित ब्याज आयकर से छूट-प्राप्त है। इसलिए, ईपीएफओ में शेष राशि छोड़ने का प्रोत्साहन विद्यमान है।

iii. ऐसी जमा राशियां सुरक्षित तथा सकुशल निवेश हैं तथा यहां तक कि किसी न्यायालय की डिक्री से इनकी कुर्की नहीं की जा सकती है।

(ग) और (घ): जी नहीं, तथापि, ईपीएफओ द्वारा लाभार्थियों को उनकी भविष्य निधि जमा राशि पर दावा करने के लिए सुविधा प्रदान करने की खातिर निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) ईपीएफओ ने सदस्यों को उनके निष्क्रिय खातों की शिनाख्त में सहायता के लिए 'निष्क्रिय खाते ऑन लाईन सहायता डेस्क' के नाम से एक पोर्टल प्रारंभ किया है।

(ii) निष्क्रिय खातों का प्राथमिकता से समाधान करने तथा आगे नियोक्ताओं के माध्यम से लाभार्थियों की शिनाख्त के लिए निदेश जारी किए गए हैं।

(iii) ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) के नाम से विशिष्ट स्थायी संख्या आबंटित की हैं जो कि नियोक्ताओं की मध्यस्थता के बिना सदस्यों की शिनाख्त को संभव करेगा।

साथ ही इलैट्रोनिक तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से सदस्यों को उनकी पीएफ जमा राशि के आहरण या स्थानांतरण के बारे में समय-समय पर जागरुक करने हेतु जागरुकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

उपरोक्त कदमों के परिणामस्वरुप, पिछले तीन वर्षों में लाभार्थियों को निष्क्रिय खातों से कुल अदा की गई राशि में वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निष्क्रिय खातों से कुल अदा की गई राशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	निस्तारित धनराशि (करोड़ रुपये में)
2011-12	955.51
2012-13	2890.40
2013-14	4316.71

*****